राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांक प. 3(12)अल्प.वक्फ/2017/RK/00054 — जयपुर, दिनांक : 03.02 .2020

मदरसा सुविधा अनुदान (MADARSA FACILITY GRANT) योजना के दिशा–निर्देश

राजस्थान मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक मदरसों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मदरसा सुविधा अनुदान दिया जायेगा। इसका उद्देश्य मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देना, पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

मदरसा सुविधा अनुदान राशि का वित्तीय प्रावधान (वार्षिक) निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	मदरसा का प्रकार	मदरसों की संख्या		मदरसा का स्तर		योग
		प्रा.वि.	उप्रावि.	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	
1	प्राथमिक स्तर के मदरसा (कक्षा 1 से 5)	1	—	5000/–	0	5000/–
2	उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसा (कक्षा 1 से 8)	1	1	5000/–	7000/–	12000/–

मदरसा सुविधा अनुदान हेतु आवश्यक शर्ते:–

1. मदरसा एमएफजी राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के अनुसार निम्न कार्यों हेतु किया जाएगा:– इन्टरनेट सुविधा, स्वच्छता, स्टेशनरी, पेयजल एवं विद्युत व्यय, दैनिक समाचार पत्र इत्यादि हेतु।
2. मदरसा सुविधा अनुदान हेतु एस.एफ.जी. की राशि का व्यय करने हेतु समिति बनाई जायेगी। समिति के सदस्य के रूप में मदरसा प्रबन्धन समिति के सदर, सचिव एवं 2 अन्य सदस्य–जिनमें 1 नॉडल शिक्षा सहयोगी/अध्यापक, 1 अभिभावक शामिल होगें।
3. मदरसा सुविधा अनुदान के अन्तर्गत सामग्री क्रय का कर रोकड वही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करे।
4. मदरसों द्वारा समयानुसार राशि का उपयोग कर उपायोगित प्रमाण पत्र जिला स्तर पर प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी वित्तीय वर्षो में मदरसा अनुदान राशि हस्तान्तरित नही की जावेगी।
5. मदरसों द्वारा परिशिष्ठ–1 के अनुसार उपायोगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
6. 20 से कम नामांकन वाले मदरसों को मदरसा सुविधा अनुदान राशि देय नहीं होगी।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रभावी मॉनिटिरिंग करते हुए समेकित मॉनिटरिंग रिपोर्ट राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर को प्रेषित करेंगे।
8. मदरसों द्वारा किये गए व्यय का 01 मार्च से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्राप्त कर समेकित रिपोर्ट परिशिष्ठ–2 के अनुसार तैयार कर जिला उपायोगित प्रमाण पत्र एवं मदरसावार प्राप्त राशि, व्यय की गई राशि की सूची पृथक से तैयार कर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित करेंगें।

3/2/2020

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को उनकी मूल पत्रावली संख्या एफ ()रामबो/एसएफजी/2019–20 प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश संबंधित समस्त अधिकारियों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
12. नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को विभागीय वेबवाईट पर अपलोड करने बाबत।
13. रक्षित पत्रावली।

मदरसा उपयोगिता प्रमाण पत्र
(मदरसा सुविधा अनुदान)

मदरसा का नाम .... पंजीयन संख्या......................... यू.डाईस कोड.......................

मदरसा सुविधा अनुदान प्राप्त राशि ....दिनांक............................

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र ....मे प्राप्त मदरसा सुविधा अनुदान राशि रू. ....
........का उपयोग मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा कर लिया गया हैं। शेष राशि (यदि कोई हो) रू. ....
का चेक सं0 .... बैंक का नाम ....शाखा...आई.एफ.सी.कोड...........
............................दिनांक ....द्वारा वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र.स.	माह का नाम	बिल सं0 व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम	नाम सामग्री (उपयोग का विवरण)	मात्रा / संख्या	दर	राशि रू.	केशबुक की पृष्ठ स., क्रम सं. एवं दिनांक	भण्डार पजिका की पृष्ठ सं. क्रस. एवं दिनाक (सामग्री क्रय की गई हो तो)	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मदरसा प्रबंघन समिति के प्रस्ताव सं0.....................दिनांक....................के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एम.एम.सी. के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही मदरसे में 20 से कम नामांकन नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
मदरसा प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
मदरसा प्रबंधन समिति

जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र
(मदरसा सुविधा अनुदान)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र .... मे जिला........................के पंजीकृत मदरसो को मदरसा सुविधा अनुदान मद मे स्वीकृत राशि रू. ....मे से कुल......................प्राथमिक मदरसों एवं कुल.............. उच्च प्राथमिक मदरसों को कुल...........राशि जारी की गई एवं ....राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए है। उक्त राशि का व्यय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है।

संलग्न– मदरसावार प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि की सूची।

क.सं.	मदरसा का नाम	पंजीयन संख्या	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि

हस्ताक्षर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी